...अप्रार्थीगण की तामील रजिस्टर्ड
वस्तीद पेश की जा चुकी है। अप्रार्थीगण की
विधिवत तामील हो चुकी है। बावजूद तामील
अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब
अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते
बहस दिनांक 17.12.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

17.12.24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकों द्वारा कार्य स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26.12.24 को पेश हो।

26.12.24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र दिनांक 31.1.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

31.1.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पर बहस सुनी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible]

प्रार्थिया के हिस्से की आराजी भूमि **दक्षिण** दिशा में मण्डावर से खडला तक जाने वाली मुख्य सडक से **उत्तर** में खसरा संख्या 319/2 की सीमा तक स्थित है (जमाबंदी एवं नक्शा प्रति संलग्न हैं)

शीला देवी

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.–46/23(विविध) शीला शांति देवी बनाम तहसीलदार वगैरह

किस्समुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राज. अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज ....बनाम.......... मु.नं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का मनन किया। प्रार्थी का प्रा.पत्र पत्रावली स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

रींदली, पटवार हल्का रींदली, तहसील मण्डावर में दक्षिण में मण्डावर से खेडली जाने वाली मुख्य सडक से लेकर उत्तर में खसरा सं. 319/2 की सीमा तक स्थित है, की राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु उचित आदेश प्रार्थी के हक में करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रजिस्टर में पंजीबद्ध किया गया एवं अप्राथीगण को जरिय नोटिस तामिल करवाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ। इसलिये इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम रीदली तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 356/309 रकबा 0.23 हैक्टे. भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार है। उक्त आराजी के सीमाज्ञान के सम्बन्ध में दिनांक 02.07.21 के मौका पर्चा में उल्लिखित है कि सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार मण्डावर के द्वारा गठित राजस्व टीम दिनांक 02.07.21 को आराजी के मौके पर पहुंची। मौके पर पडोसी खातेदारों ने आपसी विवाद के कारण सीमाज्ञान नहीं होने दिया। मौके पर शान्ति भंग की पूर्ण सम्भावना थी। सीमाज्ञान पर्याप्त पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में ही संभव है।

प्रार्थी उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि खसरा सं. 356/309 की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम रींदली, पटवार हल्का रींदली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा, राजस्थान में स्थित भूमि खाता सं. 67 के खसरा सं. 356/309 रकबा 0.23 हैक्टे. के लिये सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी की उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू.अ. निरीक्षक हल्दैना को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक हल्दैना मौके पर उपस्थित प्रार्थी एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
46/23	09.10.23	31.01.25

बउनवान

1. शीला देवी पत्नी बलराम सैनी, निवासी रींदली, तहसील मण्डावर जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।
2. नहना पुत्र स्वर्गीय हरभेज्या, निवासी रींदली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री शिवदत्त जैमिनी।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से, जरिये अभिभाषक श्री शिवदत्त जैमिनी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम रींदली तहसील मण्डावर, जिला दौसा, राजस्थान में स्थित आराजी खाता सं. 67 के खसरा सं. 356/309 रकबा 0.23 हैक्टे. के सम्पूर्ण भाग पर प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त भूमि दक्षिण दिशा में मण्डावर से खेडली तक जाने वाली मुख्य सडक से उत्तर में खसरा सं. 319/2 की सीमा तक स्थित है। उक्त आराजी में से प्रार्थी के हिस्से की आराजी भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं. 2 की आराजी भूमि खसरा सं. 357/309 सटवा है। प्रार्थी के हिस्से की आराजी भूमि दक्षिण में मुख्य सडक, जो मण्डावर से खेडली के लिए गुजर रही है, से लेकर उत्तर में खसरा सं. 319/2 की सीमा तक है, परन्तु अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा प्रार्थी की हक हिस्से की आराजी भूमि के मध्य में अवैध कब्जा कर पक्की ईट की दीवार बना रखी है जिससे प्रार्थी अपने हक हिस्से की आराजी का उपयोग उपभोग नहीं कर पाती, साथ ही आराजी की सीमा का निर्धारण सही नहीं होने के कारण आये दिन अप्रार्थी सं. 2 से विवाद बना रहता है। प्रार्थी को अपनी आराजी भूमि के कानूनन हक प्राप्त होने के बावजूद भी परेशानी हो रही है। प्रार्थी अपनी आराजी भूमि के हिस्से एवं सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं चाहती है। इसलिए कानूनन बंटवारे के आधार पर सीमा का ज्ञान एवं पत्थरगढी करवा अपने हिस्से की आराजी भूमि को सुरक्षित करना चाहती है ताकि अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध कब्जे से प्रार्थी अपनी आराजी को बचा सके। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 से अनुरोध किया कि मैं बंटवारे के आधार पर अपनी आराजी की पत्थरगढी करवा इसकी सीमा सुरक्षित कर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपनी आराजी भूमि पर कब्जा ले लेती हूँ, परन्तु अप्रार्थी सं. 2 गंभीर क्षति कारित करने की ऐलानिया धमकी दे रहा है। उक्त आराजी का हिस्सा खाता सं. अलग–अलग निर्णय द्वारा सुनिश्चित कर चिन्हित किये जा चुके हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी के सम्पूर्ण भाग की आराजी खसरा सं. 356/309 ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)